न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– श्री कमल राम मीना, आर.ए.एस.

पी.डी.आर.एक्ट सं0 25/2015

उनवान

1. मातादीन शर्मा पुत्र श्री भंवरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी–77 बाकेलाल मार्केट, नई दिल्ली – 44

.... अपीलांट/ प्रार्थी

बनाम

1. खनिज अभियन्ता खान एवं भू–विज्ञान विभाग, अलवर राज0 ।

.... रेस्पो0/अप्रार्थी

उपस्थित :–
1. श्री चन्द्र मोहन शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी ।
2. श्री गणपतसिंह नरूका अभिभाषक अप्रार्थी ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–18.05.2018

प्रार्थी द्वारा यह पी.डी. आर एक्ट का प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर अलवर के आदेश दिनाक 29.04.2009 के खिलाफ प्रस्तुत किया गया है ।

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के कार्यालय में सर्टिफिकेट नं0 No. ME/AL/DC/PDR/ERCC/ 1012 दिनांक 29.1.2003 रू0 40,97,232/– प्रस्तुत किया था जिसे वसूली कमिश्नर नई दिल्ली जहां पर अपीलांट की रिहायश है, भिजवाया गया जिसकी सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 4.12.2007 को जबकि उपखण्ड मजिस्ट्रेट नई दिल्ली के यहां से अधिकारी अपीलांट के निवास पर आये तब जानकारी हुई थी ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मंन तलब किया गया । तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट ने बहस में जाहिर किया कि रेस्पो0 द्वारा राजस्थान राज्य में अधिक अधिशुल्क राशि वसूलने हेतु ठेका प्रणाली लागू किये जाने के क्रम में सर्वप्रथम परीक्षण के बतौर तहसील राजगढ़ में खनिज मार्बल के चालू खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज मार्बल पर अधिक अधिशुल्क राशि वसूलने हेतु संविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष के लिए ठेका नीलाम किया था जिसमें सबसे अधिक बोली एक करोड़ इक्यासी लाख वार्षिक अपीलांट की होने के कारण रेस्पो0 द्वारा अपीलांट के नाम छोड़ी गयी थी । अपीलांट को ठेका छोड़े जाने से पूर्व अधिक अधिशुल्क वसूलने का कार्य रेस्पो0 के विभाग द्वारा किया जाता था जिससे उनको केवल एक करोड़ तेरह लाख रू0 की वार्षिक आय होती थी तथा अपीलांट की उससे कहीं अधिक उच्चतम बोली होने के कारण ठेके की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से एक वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी तथा अपीलांट व रेस्पो0 के मध्य इस आशय का संविदा/इकरारनामा 5.7.2000 को निष्पादित हुआ था । कार्यालय निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग राज0 उदयपुर के यहां से एक आदेश दिनांक 9.1.2001 को जारी किया जिसके तहत आदेश प्रदान किया गया कि दिनांक 31.3.2001 से पूर्व प्रभाव में आने वाले अधिक अधिशुल्क संग्रह ठेकों के संबंध में अधिक अधिशुल्क संगृहण हेतु नये दिये जाने वाले समस्त ठेकों की अवधि एम.एम.सी.आर. 1986 के नियम 32(2) के अनुसार अधिकतम 2 वर्ष रखने की बजाय संविदा निष्पादन की दिनांक 31.3.2003 तक रखे जाने की अनुमति के निर्देश प्राप्त हुए । उक्त आदेश प्रभावी होने के बावजूद उनके द्वारा विज्ञप्ति सं0 1139 दि0 20.4.2001 के जरिये इस क्षेत्र के लिए अधिक अधिशुल्क के ठेक के लिए निविदायें आमंत्रित करने के कारण अपीलांट ने रेस्पो0 के विरूद्ध दिनांक 12.6.2001 को वाद न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क0ख0) सं0 1 अलवर में दायर किया जिसमें न्यायालय द्वारा अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था जिस आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने दीवानी मुत0 अपील दायर की जिस पर अपीलीय न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को यथावत स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये थे । इसके उपरान्त अपर जिला न्यायाधीश सं0 1 अलवर ने अपीलांट की दीवानी मुत0 अपील निर्णय दि0 5.2.2002 द्वारा स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किया व अप्रार्थी को दि0 31.3.2003 तक ठेका क्षेत्र में अधिक अधिशुल्क राशि वसूलने में व्यवधान पैदा ना करने हेतु पाबन्द किया गया । इस आदेश के खिलाफ रेस्पो0 ने माननीय राज0 उच्च न्यायालय में निगरानी दायर की जिस निगरानी के साथ जय अम्बे कान्ट्रेक्टर्स प्रा0लि0 जिसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत हुई उसमें माननीय न्यायालय में कार्यवाही के दौरान जय अम्बे कान्ट्रेक्टर्स प्रा0लि0 ने अधिक अधिशुल्क ठेके को तीन करोड़ बयासी लाख सात सौ छियासी रू0

वार्षिक ठेके पर लेने से इन्कार कर दिया व रेस्पो0 द्धारा माननीय न्यायालय द्धारा इस ठेके की राशि पर परिवचन देने के लिए कहने पर रेस्पो0 के अधिकारियों से उसने इन्कार कर दिया जिस पर माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दि0 22.3.2002 के द्धारा दि0 30.4.2002 तक दो करोड़ ग्यारह लाख इक्यानवे हजार नौ सौ चालीस रू0 वार्षिक ठेके पर ठेका क्षेत्र में ठेका जारी रखने के लिए अनुमति दी थी । अपीलांट ने माननीय न्यायालय द्धारा पारित निर्णय के प्रकाश में अधिक अधिशुल्क के ठेके को 30.4.2002 तक ठेका क्षेत्र में जारी रखा तथा उसके बाद रेस्पो0 को उसका कब्जा सौंप दिया गया । अपीलांट द्धारा रेस्पो0 के मुताबिक इकरारनामा प्रतिभूमि बाईस लाख बासठ हजार पांच सौ राशि जमा करायी गई थी जो राशि मुताबिक शरायत अपीलांट ने इस राशि की बैंक में सावधि जमा कराकर उसे रेस्पो0 के विभाग में दी हुई थी जिस प्रतिभूति राशि व उसकी सावधि जमा पर अर्जित ब्याज का अंतिम किश्त में समायोजन होना था तथा जिस शरायत से अपीलांट वे रेस्पो0 पाबन्द थे । रेस्पो0 ने बदनियतिपूर्वक अपीलांट के विरूद्ध एक वाद बाबत वसूली तीन करोड़ बेहतर लाख छियानवे हजार पांच सौ छियासठ का दायर किया जो वर्तमान में हस्तान्तरित होकर अपर जिला न्यायाधीश (फास्टट्रेक) में दर्ज किया हुआ है जिसमें अपीलांट उपस्थित हो चुका है । इस वाद में रेस्पो0 ने कपोल कल्पित कथनों पर सम्भावित हानि का आधार बनाते हुए अपीलांट बावजूद इसके कि माननीय उच्च न्यायालय में उसे एक निश्चित अवधि तक ठेका जारी रखने के लिए निर्देशित किया है । रेस्पो0 ने बदनियतिपूर्वक इस वाद में उनके द्धारा जारी सर्टिफिकेट व उसकी वसूली हेतु वसूली कमिश्नर नई दिल्ली को भिजवाये गये प्रमाणपत्र के संबंध में तथा अपीलांट के द्धारा मुताबिक शरायत जो प्रतिभूति राशि जमा कराई गई थी जिसका समायोजन अंतिम किश्त में होना था जिसे राजस्व मद में जमा कराने हेतु रेस्पो0 ने स्वीकृति भी जारी की थी । उस राशि को जब्त करने के संबंध में कोई अभिवचन दर्ज नहीं किया ।

बहस जारी रखते हुए आगे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 के सर्टिफिकेट दिनांक 29.1.2003 रू0 चालीस लाख सत्यानवे हजार दो सौ बत्तीस पर अपीलांट को कोई सूचना जारी ना करते हुए तथा ना ही अपीलांट को इस सर्टिफिकेट के संबंध में किसी प्रकार का आक्षेप प्रस्तुत करने के लिए सुनवाई का अवसर ना देते हुए रेस्पो0 द्धारा कायम मांग का अवधारण ना करते हुए यांत्रिक तौर पर इस सर्टिफिकेट पर सीधी स्वयं द्धारा वसूली प्रमाण पत्र वसूली कमिश्नर नई दिल्ली को भिजवा दिया गया जो सर्टिफिकेट निरस्त किये जाने योग्य है । रेस्पो0 द्धारा अपीलांट ने जो प्रतिभूति राशि मुताबिक शरायत बैंक की सावधि जमा के रूप में कार्यालय में जमा कराई जिसमें अर्जित होने वाले ब्याज व मूल राशि को अंतिम किश्त में समायोजन होना था तथा रेस्पो0 ने जिसे इस हेतु राजस्व मद में

जमा करने हेतु स्वीकृति प्रदान की थी उसमें लगभग ढाई साल बाद इस राशि को जब्त करने का आदेश दिनांक 5.10.2005 अपीलांट की गैर मौजूदगी में मनमाने तौर पर खिलाफ कानून/शरायत पारित किया है जो निरस्त योग्य है ।

रेस्पो0 द्वारा सर्टिफिकेट में जिन मदों में अपीलांट की ओर राशि बकाया निकाली है वो राशि अपीलांट की ओर बकाया नहीं है, बावजूद इसके अपीलांट रेस्पो0 से हर प्रकार से राशि के संबंध में हिसाब फहमी करने को तैयार है क्योंकि रेस्पो0 ने प्रतिभूति राशि के खिलाफ कानून बावजूद इसके कि माननीय उच्च न्यायालय में पक्षकारान के बीच प्रकरण लम्बित रहा जिसमें माननीय न्यायालय के आदेशों से ही अपीलांट ने राशि जमा कराई व ठेके को जारी रखा, बावजूद इसके रेस्पो0 द्वारा प्रतिभूति राशि जब्त करना कतई तौर पर गलत है ।

अपीलांट द्वारा न्यायालय जिला न्यायाधीश अलवर के यहां रेस्पो0 के विरूद्ध दीवानी वाद घोषणा व निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया जो हस्तान्तरित होकर न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश (फास्ट्रेक) सं0 2 अलवर में दर्ज किया जिसमें दिनांक 1.10.2008 को पारित आदेश द्वारा न्यायालय ने अपीलांट के पास "वैकल्पिक उपचार" प्राप्त होने के कारण प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर कि अपीलांट ने 6 वर्ष बाद बकाया राशि वापिस मंगवाये जाने का कोई उचित आधार नहीं बताया । यह अंकित कर तजबीज को प्रभावित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने जिन आधारों पर याचिका प्रस्तुत की थी उन पर गौर नहीं किया केवल यांत्रिक तौर पर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को मांगकर्ता विभाग में कार्यवाही ना करने के कारण याचिका को सही नहीं माना जो विधि विरूद्ध आदेश है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि रेस्पो0 द्वारा जो सर्टिफिकेट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया उस पर अपीलांट की कोई तामील नहीं हुई थी जिसे वसूली कमिश्नर नई दिल्ली भिजवा दिया गया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक स्थिति पर भी कतई गौर नहीं किया कि मांगकर्ता विभाग में अपीलांट को कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करना था अपितु उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चुनौती देने का प्रावधान था ।

इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.4.2009 अपास्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

प्रतिउत्तर में अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पो0 ने लिखित बहस में कथन किया कि ठेके की संविदा शर्तो के अनुसार बकाया जमा नहीं कराने के कारण समय-समय पर नोटिस अपीलांट को रेस्पो0 ने जारी किये गये । राजस्व अपवंचन

185

को रोकने व अधिकाधिक राजस्व अर्जन करने के लिहाज से राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभाग में ठेका दिये जाने की व्यवस्था लागू की गई । तहसील राजगढ़ की राजस्व सीमा में स्वीकृत चालू खनन पट्टों से निर्मित होने वाले खनिज का अधिक अधिशुल्क वसूलने का ठेका दिनांक 19.6.2000 को निलामी विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें उच्चतम बोली एक करोड़ इक्यासी लाख अपीलांट द्वारा लगायी गई जिसकी निदेशालय के आदेश दि0 1.7.2000 से स्वीकृति प्राप्त कर दि0 5.7.2000 को एक वर्ष हेतु संविदा निष्पादन किया गया । राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 32(2)के तहत ठेका अवधि अधिकतम दो वर्ष होती है जिसमें निर्धारण वर्ष की परिभाषा में दिनांक 11.9.2000 को संशोधन किया जा चुका था । अतः दि0 9.1.2001 को निदेशाालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग उदयपुर द्वारा जारी आदेश जारी किया गया । इसी दृष्टि से ऐसे ठेके विशेषतः जो उक्त आदेश जारी होने की दिनांक से 31 मार्च 2001 से पूर्व प्रभाव में आने थे और जिनकी अवधि 31 मार्च 2001 से पूर्व समाप्त होनी थी कि अवधि वित्तीय वर्ष तक करने के लिए उक्त वर्णित परिपत्र जारी किया गया था जो कि वादी के ठेके के लिए लागू नहीं होता था । निदेशालय के द्वारा उक्त स्थिति को उनके पत्र दिनांक 10.7.2000 से भी स्पष्ट किया जा चुका है । माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0 1 अलवर के आदेश दि0 5.2.2002 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन पिटिशन दायर की गयी जिसमें दिनांक 22.3.2002 के द्वारा ठेके को दिनांक 30.4.2002 तक राशि रू0 तीन करोड़ बियासी लाख सात सौ छियासी पर चलाने का आदेश दिया गया ना कि रू0 दो करोड़ ग्यारह लाख इक्यानवे हजार नो सौ चालीस सालाना पर । माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश दि0 13.3.2003 की पालना में तहसील राजगढ़ के उक्त ठेका क्षेत्र की निविदा विज्ञप्ति जारी कर निविदायें दि0 23.4.2002 को आमंत्रित की गई जिसकी अधिकतम निविदा राशि रू0 चार करोड़ इक्यावन लाख चार सौ सालाना श्री रामहेर सिंह निवासी भिवाड़ी द्वारा प्रस्तुत की गई । यद्यपि इसी दौरान माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दि0 13.3.2003 के विरूद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में पिटिशन फोर स्पेशल लीव टू अपील प्रस्तुत की गई जिसमें दिनांक 12.4.2002 में आदेश हुआ कि **the auction shall go on and confirmation of the bid is stayed.** माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत उक्त सिविल रिवीजन पिटिशन सं0 225/02 एवं एसबीसीडब्ल्यू पिटिशन सं0 4641/01 को आदेश दि0 3.5.2002 से निर्णित करते हुए न्यायालय अति0 जिला जज सं0 2 अलवर के आदेश दि0 5.2.2002 को निरस्त करते हुए रेस्पो0 के खिलाफ कोस्ट अदा करने के आदेश पारित किये गये थे ।

अपीलार्थी की ठेके की अवधि दि0 4.7.2001 को समाप्त हो रही थी किन्तु माननीय न्यायालयों से स्थगन प्राप्त कर ठेका दि0 30.4.2002 तक जारी रखा । खनिज रियायत नियमानवली 1986 के नियम 43(4) व उसके अन्तर्गत जारी निविदा विज्ञप्ति की शर्तो के अनुरूप ठेका यदि बिना किसी चूक के ठेका पूर्ण किया जाता है तो प्रतिभूति राशि को अंतिम किश्त में समायोजन किये जाने का प्रावधान है किन्तु रेस्पो0 द्वारा दिये गये नोटिसों की पालना नहीं किये जाने के कारण अपीलांट ही दोषी है । अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर उक्त ठेका दि. 30.4.2002 तक चलाना जिसकी बकाया राशि अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं कराई गयी है । राजस्थान अप्राधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 34 जी. एवं निविदा विज्ञप्ति एवं ठेके की शर्तो के अनुसार अपीलार्थी यदि ठेका बिना किसी चूक पूर्ण करता है तो प्रतिभूति राशि को अंतिम किश्त में समायोजन किये जाने का प्रावधान है । अपीलार्थी द्वारा अनियमितता किये जाने के कारण ही उक्त प्रतिभूति राशि को राजस्व मद में जमा कराने की स्वीकृत प्रदान की गई न कि बकाया के विरूद्ध समायोजन की । अपीलार्थी द्वारा रेस्पो0 के राजस्व का नुकसान पहूंचाने के कारण ही अपीलार्थी द्वारा रेस्पो0 के राजस्व का नुकसान पहुंचाने के कारण ही अपीलार्थी पर वाद माननीय न्यायालय अलवर में दायर किया हुआ है जो वर्तमान में ए.डी.जे. नं0 3 अलवर में विचाराधीन है ।

बहस जवाब में आगे कहा कि अपीलार्थी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण ही ठेका संविदा की शर्तो के अनुसार रेस्पो0 द्वारा पी.डी.आर.एक्ट के तहत वसूली हेतु प्रकरण नई दिल्ली को भेजा गया । रेस्पो0 के विधिक नोटिसों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने के कारण प्रतिभूति राशि को नियमानुसार जब्त किया गया है तथा ठेके की संविदा शर्तो के अनुसार बकाया होने वाली राशि के विधिक नोटिस नियमानुसार अपीलार्थी को रेस्पो0 द्वारा समय – समय पर जारी किये गये । माननीय न्यायालय को बेवजह गुमराह करने की नियत से अपील दायर की है । अपीलांट द्वारा एक ही अनुतोष के लिए दो न्यायालयों में अलग–अलग कार्यवाही नहीं की जा सकती । इसलिए तहत न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होकर अपील अपीलांट खारिज योग्य है ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय ने खान विभाग अलवर की ओर से प्राप्त वसूली प्रमाण पत्र को आधार मानकर भारतीय राजस्व वसूली अधिनियम 1890 के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही करने हेतु जो वसूली प्रमाण पत्र वर्ष 2003 में वसूली कमिश्नर नई दिल्ली को भेजा गया है, उसे सही माना गया है । इस वसूली प्रमाण पत्र को

संबंधित अधिकारी को वसूली हेतु भिजवाने के बाद 6 वर्ष बाद इसे वापिस मंगवाये जाने का कोई उचित आधार नहीं माना है जबकि संबंधित बाकीदार का यह दायित्व था कि वह समय रहते हुए उसकी ओर देय बकाया राशि के संबंध में मांगकर्ता विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करता परन्तु उसने ऐसा नहीं कर 6 वर्ष बाद कार्यवाही हेतु निवेदन किया है जो तहत न्यायालय ने मान्य नहीं मानकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है ।

अपीलांट अभिभाषक का अपनी बहस में मुख्य तर्क यह रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल इस आधार पर कि अपीलांट ने 6 वर्ष बाद वापिस मंगवाये जाने का आदेश उचित नहीं बताया तथा यह अंकित कर तजबीज को प्रभावित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिन आधारों पर याचिका प्रस्तुत की थी उन तथ्यों पर गौर नहीं किया गया केवल यांत्रित तौर पर निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की मांगकर्ता विभाग में कार्यवाही ना करने के कारण याचिका को सही नहीं माना जो विधि विरूद्ध आदेश है । साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि रेस्पो0 द्वारा जो सर्टिफिकेट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया उस पर अपीलांट की कोई तामील नहीं हुई थी जिसे वसूली कमिश्नर नई दिल्ली भिजवा दिया गया था जहां से सर्वप्रथम अपीलांट को दि0 4.12.2007 को जानकारी हुई थी । इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया कि मांगकर्ता विभाग में अपीलांट का कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करना था अपितु उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ही चुनौती देने का प्रावधान था । इसलिए तहत न्यायालय जिला कलक्टर का आदेश दि0 29.4.2009 निरस्त करने की इस्तदुआ की ।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में जाहिर किया कि अपीलार्थी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण ही ठेका संविदा की शर्तो के अनुसार रेस्पो0 द्वारा पी.डी.आर.एक्ट के तहत वसूली हेतु प्रकरण नई दिल्ली को भेजा गया । रेस्पो0 के विधिक नोटिसों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने के कारण प्रतिभूति राशि को नियमानुसार जब्त किया गया है तथा ठेके की संविदा शर्तो के अनुसार बकाया होने वाली राशि के विधिक नोटिस नियमानुसार अपीलार्थी को रेस्पो0 द्वारा समय – समय पर जारी किये गये । इस न्यायालय को बेवजह गुमराह करने की नियत से अपील दायर की है । अपीलांट द्वारा एक ही अनुतोष के लिए दो न्यायालयों में अलग–अलग कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

इसलिए तहत न्यायालय का आदेश सही है और अपीलांट की अपील खारिज योग्य है ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । साथ ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश का भी भली–भांति अवलोकन किया ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि ठेके की संविदा शर्तो के अनुसार बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण अपीलांट/प्रार्थी को समय–समय पर नोटिस जारी करना जाहिर किया है तथा राजस्व अपवंचन को रोकने व अधिकाधिक राजस्व अर्जन करने की नियत से राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों में ठेका दिये जाने की व्यवस्था लागू की गई थी । माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं0 1 अलवर के आदेश दि0 5.2.2002 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रिवीजन दायर की गयी जिसमें दि0 22.3.2002 के द्वारा ठेके को दि0 30.4.2002 तक राशि रू0 तीन करोड़ बियासी लाख सात सौ छियासी पर चलाने का आदेश दिया गया ना कि दो करोड़ ग्यारह लाख इक्यानवे हजार नौ सौ चालीस रू0 सालाना पर । अपीलार्थी की ठेके की अवधि दि0 4.7.2001 को ही समाप्त हो रही थीं किन्तु माननीय न्यायालयों से प्राप्त स्थगन दि0 30.4.2002 तक जारी रहा । खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 43 (4) व उसके अन्तर्गत जारी निविदा विज्ञप्ति की शर्तो के अनुरूप ठेका यदि बिना किसी चूक के ठेका पूर्ण किया जाता है तो प्रतिभूति राशि को अंतिम किश्त में समायोजन किये जाने का प्रावधान है किन्तु रेस्पो0 द्वारा दिये गये नोटिसों की पालना नहीं किये जाने के कारण अपीलांट ही दोषी है । अपीलांट द्वारा अनियमितता किये जाने के कारण ही उक्त प्रतिभूति राशि को राजस्व मद में जमा कराने की स्वीकृति प्रदान की गई न कि बकाया के विरूद्ध समायोजन की । अपीलार्थी द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराने के कारण ठेका संविदा की शर्तो के अनुसार रेस्पो0 द्वारा वसूली हेतु प्रकरण नई दिल्ली भेजा गया । इसके अलावा रेस्पो0 के विधिक नोटिसों की पालना अपीलांट द्वारा नहीं किये जाने के कारण प्रतिभूति राशि को नियमानुसार जब्त किया गया है । रेस्पो0 द्वारा अपीलांट को विधिवत् समय–समय पर नोटिस जारी किया जाना जाहिर होता है ।

खनिज रियायत नियमानवली 1986 के नियम 43(4) व उसके अन्तर्गत जारी निविदा विज्ञप्ति की शर्तो के अनुरूप ठेका यदि बिना किसी चूक के ठेका पूर्ण किया जाता है तो प्रतिभूति राशि को अंतिम किश्त में समायोजन किये जाने का प्रावधान है किन्तु रेस्पो0 द्वारा दिये गये नोटिसों की पालना नहीं किये जाने के कारण अपीलांट ही दोषी है । अपीलार्थी द्वारा माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर उक्त ठेका दि. 30.4.2002 तक चलाना जिसकी बकाया राशि अपीलार्थी द्वारा जमा नहीं कराई गयी है । राजस्थान अप्राधान खनिज रियायत नियमावली 1986 के नियम 34 जी. एवं निविदा विज्ञप्ति एवं ठेके की शर्तो के अनुसार अपीलार्थी यदि

ठेका बिना किसी चूक पूर्ण करता है तो प्रतिभूति राशि को अंतिम किश्त में समायोजन किये जाने का प्रावधान है । अपीलार्थी द्वारा अनियमितता किये जाने के कारण ही उक्त प्रतिभूति राशि को राजस्व मद में जमा कराने की स्वीकृत प्रदान की गई न कि बकाया के विरूद्ध समायोजन की । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय अपने आदेश से अपीलांट श्री मातादीन शर्मा को जो बकाया राशि जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया है, वह आदेश विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं और अपीलांट का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज योग्य पाया गया है ।

अतः प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । तहत न्यायालय जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित आदेश दि0 29.04.2009 यथावत रखा जाता है । खर्चा अपना–अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/5/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर